

डिक्री मुकदमा इब्तदाई


(ओ. 20 रूल्स 6 व 7 जाबा दीवानी)

अज अदालत उपखण्ड अधिकारी, टोंक
मुकाम टोंक व अलजाम जगदीश आर्य, आर.ए.एस. द्वारा अध्याशित
प्रकरण संख्या- 101/2015
वाद बाबत स्थायी निषेधाज्ञा

यह मुकदमा आज वास्ते इनफिसाल कतई रूबरू उपखण्ड अधिकारी, टोंक व हाजरी वकील वादीगण भिनजामिन मुद्दई रूबरू वकील प्रतिवादीगण भिनजामिन मुद्दायलह पेश होकर हुक्म दिया जाता है व डिक्री जारी की जाती है कि

वाद वादी स्वीकार किया जाकर प्रतिवादीगण को सदा-सर्वदा के लिये जरिये स्थायी निषेधाज्ञा से पाबंद किया जाता है कि प्रतिवादीगण स्वयं जरिये, एजेण्ट, नौकर, रिश्तेदार या अन्य किसी भी माध्यम से वादी की खातेदारी एवं कब्जे, काशत की उक्त वर्णित भूमि आराजी खसरा नम्बर 365/2 रकबा 6 बिस्वा, खसरा नम्बर 440/4 रकबा 18 बिस्वा, खसरा नम्बर 44623 रकबा 7 बिस्वा कुल कित्ता 3 कुल रकबा 1 बीघा 11 बिस्वा वाके मालीयो की झोपडी, पटवार हल्का मेहंदवास तहसील व जिला टोंक राजस्थान से वादी को जबरन बेदखल करने का प्रयास नहीं करे, वादी के कब्जे, काशत में किसी भी प्रकार का हस्तक्षेप नहीं करे, वादी को फसल बोने-काटने आदि में किसी भी प्रकार की कोई बाधा उत्पन्न नहीं करे, जबरन उक्त भूमि का कब्जा करने का प्रयास नहीं करे एवं सदा सर्वदा के लिये पाबंद रहे।

बसख्त मेरे दस्तख्त व मुहर अदालत के आज तारीख 01.04.2019 को जारी किया गया।



मोहर

(जगदीश आर्य)
उपखण्ड अधिकारी टोंक
टोंक (राज.)

मुद्दई	रुपये	पैसे	मुद्दायलह	रुपये	पैसे
स्टाम्प अजी दावा	000	00	स्टाम्प अजी दावा	000	00
स्टाम्प वकालत नामा			स्टाम्प वकालत नामा		
स्टाम्प राजह सफुह			महल्लामा वकील		
महल्लामा वकील			खर्चा गवाहन		
खर्चा गवाहन			फीस कमिश्नर		
फीस कमिश्नर			बाबत इजराय हुक्मनामा		
बाबत इजराय हुक्मनामा			मुताकरीफ		
मुताकरीफ			मौजान		
मौजान					

8

उपखण्ड अधिकारी,
टोंक

उनवान

गोदू उर्फ गोरधन पुत्र नाथू जाति माली निवासी मालीयो की झोपडिया, मेहंदवास, तहसील व जिला टोंक राजस्थान।

-वादी

बनाम

- कैलाश पुत्र कल्याण जाति माली निवासी मालीयो की झोपडिया, मेहंदवास, तहसील व जिला टोंक राजस्थान।
- रतिराम पुत्र कल्याण जाति माली निवासी मालीयो की झोपडिया, मेहंदवास, तहसील व जिला टोंक राजस्थान।
- पोखर पुत्र नाथू जाति माली निवासी मालीयो की झोपडिया, मेहंदवास, तहसील व जिला टोंक राजस्थान।

-प्रतिवादीगण